

13/11/19

वकील वाणी (प्राची) उप.।
तहसीलदार देसूरी से माँगा Report प्राप्त
इ-जकार कर पत्रावली दिनांक 26/11/2019 से
पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

16/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी ~~पत्रावली~~ होने से पत्रावली
दिनांक 17/11/19 को पेश हो।

17/11/19

वकील प्राची उप।
तहसीलदार देसूरी से माँगा Report प्राप्त वही
हुई। पुनः लिखा जाकर पत्रावली दिनांक
18/01/2020 से पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

13/1/2020

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन तहसीलदार से माँगा
अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण Report प्राप्त हुई।
पत्रावली दिनांक 22/1/2020 को पेश हो।

5/2/2020

वकील प्राची उप।
तहसीलदार देसूरी द्वारा प्राप्त माँगा रिपोर्ट
में प्राचीगण व वकील प्राचीगण ने निवेदन किया
कि हमें अन्तर्गत धारा 251(A) राजस्थान
अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत रास्ते की
जरूरत नहीं है अतः हमारा प्रार्थना पत्र राजस्व
विविध संख्या 25/2019 को निरस्त फरमावे।

अतः प्राचीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 251(A) राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955
के तहत प्राचीगण को रास्ते की आवश्यकता नहीं होने
के कारण खारीज किया जाता है।
पत्रावली कैंसल सुमार होकर नम्बर से उम हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)